सं0-60/2016-1760/चौदह-04-2016-508/2016

प्रेषक,

मो0 जुनीद
संयुक्त सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं विभागाध्यक्षए
उ0प्र0 लखनऊ।

वन एवं वन्य जीव अनुभाग-4 लखनऊः दिनांक 19 अगस्त, 2016

विषय- वित्तीय वर्ष 2016.17 में दुधवा नेशनल पार्क के वन विश्राम गृहों तथा आन्तरिक मार्गों का सुदृढ़ीकरण योजनान्तर्गत नई मांगों के माध्यम से आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि रू0 5000000 की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक योजना एवं कृषि वानिकी उ0प्र0 लखनऊ के पत्र सं0 पी-74/36-टी-93 दिनांक 18.07.2016 के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त आय-व्ययक अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस/2016-231/2016 दिनांक 22.03.2016 में निहित निर्देशों एवं प्रतिबन्धों के अधीन वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए अनुदान संख्या-60 के आयोजनागत पक्ष के अन्तर्गत दुधवा नेशनल पार्क के वन विश्राम गृहों तथा आन्तरिक मार्गों का सुदृढ़ीकरण योजनान्तर्गत आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष रू0 5000000 की (रू0 पचास लाख मात्र) वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित लेखा शीर्षकों के अन्तर्गत व्यय हेतु निम्न शर्तों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकति प्रदान करते हैः.

लेखा शीर्षक	धनराशि (रू0 में)
अनुदान संख्या-60	
राजस्व लेखा	
4406-वानिकी तथा वन्य जीव पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत	
02-पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव	
110-वन्य जीव-	
07-दुधवा नेशनल पार्क के वन विश्राम गृहों तथा आन्तरिक मार्गों का सुदृढ़ीकरण.-	
24-वृहत निर्माण कार्य	4000000
42-अन्य व्यय	1000000

http://shasanadesh.up.nic.in

योग-	5000000

(रू0 पचास लाख मात्र)

1. उक्त धनराशियों का आवंटन स्वयं में व्यय का अधिकार नहीं देताए अतः जिस व्यय के सम्बन्ध में वित्तीय हस्तपुस्तिका के अन्तर्गत नियमावलियों में अथवा शासन के वर्तमान आदेशों के अनुसार शासन के अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति/सहमति लिया जाना अपेक्षित होए उसे व्यय करने से पूर्व अनिवार्यतः प्राप्त किया जाय। वस्तुओं का क्रय स्टोर परचेज एवं वित्तीय नियमों के अधीन किया जाय। योजनान्तर्गत वाहनों के क्रय के पूर्व शासन का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा। व्यय करते समय मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा जारी शासनादेश सं0-सी0ए0 119/दस-2009-मित-1/दस-मित-2004 दिनांक 07.01.2005 तथा शासनादेश सं0-सी0ए0 1191/दस/2009-मित-1/2007 दिनांक 26.10.2009 एवं इस सम्बन्ध में समय.समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

2. नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लियरेंस सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाय।

3. योजना के अन्तर्गत कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे नये कार्य बढ़ानाए कार्यों के आकार में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियां इस्तेमाल करना इत्यादि व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।

4. प्रायोजना अन्तर्गत स्पिलिट ए0सी0 एवं सोल फैन्सिंग का प्राविधान किया गया है। योजना के क्रियान्वयन से पूर्व कार्यदायी संस्था इस हेतु निर्माताओं से प्रतिस्पर्धा के आधार पर दरें प्राप्त करें। चूंकि यह प्रोपाइटरी श्रेणी के कार्य हैं एवं इनके शिड्यूल आफ रेटस उपलब्ध नहीं होते हैं तथा इनके मेक, माडल एवं स्पेसीफिकेशन के अन्तर से लागत में अन्तर आना स्वाभविक है। अतः निर्माण के समय के समय इनका क्रय एवं स्थापना सुसंगत वित्तीय नियमों के आधार पर किया जाय।

5. मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था विभागाध्यक्ष का होगा। प्रमुख वन संरक्षक यह सुनिश्चित करेगें कि उक्त कार्य की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में पुनरावृत्ति न हो।

6. व्यय को निर्धारित मानको के अनुसार सुनिश्चित किये जाने हेतु एक समयसारिणी निश्चित कर दी जाय तथा प्रत्येक माह की समाप्ति पर व्यय की प्रगति का प्रभावी अनुश्रवण किया जाय।

http://shasanadesh.up.nic.in

7. प्रमुख वन संरक्षक उ0प्र0 समय.समय पर स्थलीय निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करेंग कि स्थलीय कार्य अनुमोदित आंगणन एवं निर्धारित मानकों के अनुसार हो रहे हैं तथा इसकी रिपोर्ट शासन को समय.समय पर उपलब्ध करायी जायगी।

8. उक्त स्वीकृत धनराशि को आहरित कर किसी बैंक/डाक घर खाता/डिपाजिट खाता आदि में जमा नहीं किया जायेगा।

9. स्वीकृत धनराशि के व्यय का अधिकार तब होगा जब निर्माण कार्य की भौतिक प्रगति तथा अपेक्षित गुणवत्ता नियंत्रक अधिकारी, विभागाध्यक्ष अथवा कार्यालयाध्यक्ष द्वारा सत्यापित कर दिया गया हो तथा इसका गुणवत्ता प्रमाण.पत्र एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र सक्षम स्तर को उपलब्ध करा दिया गया हो।

10. उपर्युक्त धनराशि का व्यय अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, योजना एवं कृषि वानिकी के पत्र सं0 पी0 74/36-2-93 दिनांक 18.07.2016 में उल्लिखित कार्यमदों में ही व्यय किया जाय।

11. यह आदेश वित्त आय-व्ययक अनुभाग-1 के कार्यलय ज्ञाप सं0-1/2016/बी-746/दस-2016-231/2016 दिनांक 22 मार्च, 2016 में निहित निर्देशों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

मो0 जुनीद
संयुक्त सचिव

<u>संख्या-1760(1)/चौदह-4-2016 तददिनांक</u>
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः.

1. प्रधान महालेखाकार लेखा एवं हकदारी प्रथम/दिवतीय उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार द्वितीय उ0प्र0 केन्द्रीय भवन, अलीगंज लखनऊ।
3. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव उ0प्र0 लखनऊ।
4. अपर प्रधान मुख्य वन सरंक्षक, योजना एव कृषि वानिकी, उ0प्र0 लखनऊ।
5. वित्त नियंत्रक कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष उ0प्र0 लखनऊ।
6. वित्त आय-व्ययक अनुभाग-1/2
7. वित्त व्यय-नियंत्रण अनुभाग-7
8. वित्त संसाधन केन्द्रीय सहायता अनुभाग।
9. अनुभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,

मो0 जुनीद,

http://shasanadesh.up.nic.in

संयुक्त सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

http://shasanadesh.up.nic.in